5–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2006 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत कराया जाता है।

6–आवेदक का आवेदन निवेश–मित्र पोर्टल के माध्यम से वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया है। इस कारण आवेदक द्वारा ऑनलाइन शुल्क मु0 13840.00 रूपया दिनांक 24.10.2022 को जमाकर शुल्क रसीद प्राप्त करायी गयी है एवं न्याय शुल्क 13840 रूपया चालान संख्या आई.एच.00004 व सीमांकन शुल्क मु0 1000.00 रूपया चालान संख्या आई.एच.00004 के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा चमनगंज में जमाकोष कर चालान की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।

7–अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार न होने के कारण अनापत्ति शपथ–पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतएव प्रश्नगत गाटा संख्या 328/1.1380हे0 के आंशिक भाग 0.808हे0 पर वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रयोग में लाया जा रहा है। इस कारण धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत आकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार सोहावल जनपद अयोध्या की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया, जिससे विदित होता है कि आवेदक की अकृषिक भूमि के रकबे को पूर्णतया गैर कृषिक किया जा सकता है। ऐसी दशा में उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम मोकलपुर परगना मगलसी तहसील सोहावल की खतौनी वर्ष 1425–1430फ0 की खाता संख्या 328 की गाटा संख्या 328/1.1380हे0 के आंशिक भाग 0.808हे0 के दर्ज खातेदार माधव सर्वोदय एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी प्रबन्धक श्रीमती रामलली पत्नी माधव प्रसाद निवासी ग्राम मोकलपुर रानीबाजार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद अयोध्या को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोहावल की आख्या दिनांक 11.10.2022 आदेश का अंग रहेगा। यदि उल्लखित गाटा संख्या के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सोहावल को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक–17.10.2022

(के0के0 द्विवेदी)
पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिरी
सोहावल–अयोध्या।

पृष्ठ संख्या :